छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2024-25

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

तथा

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2024-25

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतिवेदन में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों/आयोग तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है।

सचिव
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
तथा
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

विभागीय संरचना

छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

विभाग का नाम	:	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
प्रभारी मंत्री का नाम	:	माननीय श्री ओ.पी. चौधरी

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

सचिव	:	श्री अंकित आनन्द (भा.प्र.से.)
उप सचिव	:	श्री चेतन बोरघरिया (रा.प्र.से.)
अवर सचिव	:	श्रीमती कुसुम एक्का

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी

संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	:	श्रीमती रोक्तिमा यादव (भा.प्र.से.)

आयोग में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग	:	अध्यक्ष - मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन उपाध्यक्ष - श्री अभिताभ जैन (मुख्य सचिव, छ.ग. शासन) सदस्य सचिव - डॉ. नीतू गोरड़िया

विभागीय संरचना

(योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग)

मंत्रालय,
माननीय मंत्री, छ.ग. शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

↓ सचिव
↓ संयुक्त सचिव
↓ उप सचिव
↓ अवर सचिव
↓ संचालक (आसांसं)

- **(संचालनालय)**
  - ↓ अपर संचालक
  - ↓ संयुक्त संचालक
  - ↓ उपसंचालक
  - ↓ सहायक संचालक
  - ↓ सहायक संचालक (वित्त)
  - ↓ सहायक सांख्यिकी अधिकारी
  - ↓ सहायक प्रोग्रामर
  - ↓ अधीक्षक
  - ↓ अन्वेषक
  - ↓ संगणक
  - ↓ कनिष्ठ लेखा परीक्षक
  - ↓ सहायक ग्रेड–1
  - ↓ सहायक ग्रेड–2
  - ↓ सहायक ग्रेड–3
  - ↓ निज सहायक
  - ↓ शीघ्र लेखक
  - ↓ स्टेनो टायपिस्ट
  - ↓ वाहन चालक
  - ↓ चतुर्थ श्रेणी
- **(जिला)**
  - ↓ उपसंचालक/जि.यो.एवं सां.अधि.
  - ↓ सहायक संचालक
  - ↓ सहायक सांख्यिकी अधिकारी
  - ↓ खण्ड स्तर अन्वेषक
  - ↓ संगणक
  - ↓ सहायक ग्रेड–1
  - ↓ सहायक ग्रेड–2
  - ↓ सहायक ग्रेड–3
  - ↓ स्टेनो टायपिस्ट
  - ↓ वाहन चालक
  - ↓ चतुर्थ श्रेणी

विभागीय संरचना

(राज्य नीति आयोग)

मंत्रालय,
माननीय मंत्री, छ.ग. शासन
राज्य नीति आयोग

↓

सचिव

↓

संयुक्त सचिव

↓

उप सचिव

↓

अवर सचिव

↓

सदस्य सचिव (रा.नीति.आ)

↓

- संयुक्त संचालक
  ↓ शोध अधिकारी
  ↓ सहायक संचालक
  ↓ प्रशासकीय अधिकारी
  ↓ शीघ्र लेखक ग्रेड–1
  ↓ सहायक सांख्यिकी अधिकारी
  ↓ सहायक प्रोग्रामर
  ↓ कनिष्ठ ग्रंथपाल
  ↓ अन्वेषक
  ↓ डाटा एण्ट्री ऑपरेटर
  ↓ वाहन चालक
  ↓ चतुर्थ श्रेणी

- संयुक्त संचालक (वित्त)
  ↓ अवर सचिव
  ↓ वरिष्ठ लेखापाल
  ↓ कनिष्ठ लेखापाल
  ↓ सहायक ग्रेड–1
  ↓ सहायक ग्रेड–2
  ↓ सहायक ग्रेड–3
  ↓ वाहन चालक
  ↓ चतुर्थ श्रेणी

विभाग को आबंटित कार्य

(अ) **विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषयः**

1. वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन.
2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं है, सहित परियोजनाओं कार्यक्रमों का पूर्व मूल्यांकन तथा अनुमोदन.
3. भावी योजना बनाना जिसमें सामग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना.
4. संपूर्ण राज्य के लिए साथ ही विभिन्न जिलों तथा क्षेत्रों के लिए सेक्टरों में विकास के स्तर का निर्धारण.
5. वार्षिक योजना के समग्र राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टि से राज्य के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण.
6. स्थानीय और क्षेत्रीय (सेक्टोरल) योजनाओं का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण करना और उनके निर्मित रूप का योजना आयोग से संगत समन्वय करना.
7. योजना प्रगति का परिवीक्षण और मूल्यांकन तथा राज्य नीति आयोग से संगत जानकारी एकत्र करना.
8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण.
9. राज्य नीति आयोग से संबंधित समस्त विषय.
10. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर आर्थिक तथा सांख्यिकी अन्वीक्षा से संबंधित समस्त विषय.

11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्वीक्षा.

12. औद्योगिक सांख्यिकी जिसमें औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1942 तथा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2011 सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) अधिनियम 2017 का प्रकाशन शामिल है.

13. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार तथा उसके परिणाम का प्रकाशन.

14. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से संबंधित कार्य.

15. शासन के विभागों की 50 करोड़ या उससे अधिक की परियोजनाओं की मंजूरी हेतु परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति का अनुमोदन।

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :–

1. जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2023 (संशोधित) (भारत सरकार द्वारा प्रशासित)

2. औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम, 1942 (भारत सरकार द्वारा प्रशासित)

3. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 नियम 2011 (संशोधन) अधिनियम 2017 (भारत सरकार द्वारा प्रशासित)

4. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995.

5. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़) नियम, 2001.

6. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995.

7. छत्तीसगढ़ जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालयः

1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय एवं अधीनस्थ जिला कार्यालय

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगमः

1. **निरंक**

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकायः

1. राज्य नीति आयोग
2. जिला योजना समिति

विषय सूची

क्र	विभाग	संचालनालय/आयोग	पृष्ठ संख्या
1	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय 2. राज्य नीति आयोग	1–17 18–28

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती-भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला - रायपुर

भाग - एक

विभागीय संरचना

राज्य की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण इत्यादि कार्यों को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ हैं। वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 33 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है। संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के निष्पादन हेतु **08** संभाग हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट–दो** में दर्शाया गया है।

संचालनालय के दायित्व

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है। राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है ।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1. सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आंकलन करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन का दायित्व भी संचालनालय का है ।

1.2 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुसरण करता है । इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारत के महारजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु पंजीयन) एवं नीति–आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुसूचियों द्वारा राज्य स्तर पर भी संचालनालय में सर्वेक्षण संपादित किया जाता हैं।

1.3 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है ।

1.4 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिपेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर प्रशासन, योजनाविदों तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2 प्रमुख गतिविधियाँ

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ का **आर्थिक सर्वेक्षण** के रूप में प्रकाशित किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय,

कृषि–उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जल–संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। प्रतिवर्ष विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है।

2.2 राज्यीय आय (राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान)

राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आंकलन करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) भारत सरकार, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान एवं प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते है । वर्ष 2022–23 (प्रावधिक), 2023–24 (त्वरित) एवं 2024–25 (अग्रिम) तैयार किये गये। इन अनुमानों को राज्यीय आय अध्याय के रुप में आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024–25 में शामिल कर विधान सभा के बजट सत्र में पटल पर रखा गया।

2.3 बजट विश्लेषण

राज्य के वार्षिक बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण भी संचालनालय द्वारा किया जाता है, जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है। संचालनालय द्वारा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार राज्य शासन की वार्षिक बजट वर्ष 2024–25 का वर्गीकरण कर वर्ष 2022–23 (लेखा), 2023–24 (पु.अ.) एवं 2024–25 (ब.अ.) की जानकारी तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय को राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार करने हेतु उपलब्ध कराया गया है एवं राज्यीय आय तैयार करने हेतु राज्य स्तर पर इन आकड़ों का उपयोग किया गया है।

2.4 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य

जनहित में नीति निर्माण हेतु भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न विषय पर सामाजिक आर्थिक आंकडो के संग्रहण हेतु निर्धारित अनुसूचियों में प्राथमिक आंकडे एकत्रित करने हेतु ग्रामीण

एवं नगरीय न्यादर्श आबंटित किये जाते हैं । जिसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा निर्धारित एवं प्रदाय की गयी अनुसूचियों में घर घर जाकर प्राथमिक डाटा एकत्र किया जाता है ।

इन आबंटित ग्रामीण एवं नगरीय न्यादर्शों / खण्डों में विभाग के मुख्यालय एवं जिलों में पदस्थ प्रशिक्षित क्षेत्रीय अन्वेषकों द्वारा घर घर जाकर विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषय पर निर्धारित अनुसूचियों में **प्राथमिक आंकडों का संग्रहण** किया जाता है तथा विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा क्षेत्र कार्यों का निरीक्षण भी किया जाता है ।

निर्धारित विषय की अनिसुचियों में संग्रहित आंकड़ों की परिनिरीक्षा कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त सॉफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि, वेलिडेशन टेबुलेशन, डाटा प्रोसेसिंग कर विभिन्न डाटा टेबल व रिपोर्ट तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के डाटा मैचिंग सॉफ्टवेयर में राज्य डाटा टेबल और केन्द्रीय डाटा टेबल का मैचिंग कार्य कर राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित किया जाता है।

2.5 जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य / नागरिक पंजीयन प्रणाली

जन्म पंजीयन को बच्चे के पहले अधिकार के रूप में जाना जाता है। ''जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969'' एवं ''जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 (संशोधित)'' अन्तर्गत भारत देश में घटित हर जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीकरण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म–मृत्यु की घटना का पंजीकरण उक्त अधिनियमों के साथ–साथ ''छत्तीसगढ जन्म–मृत्यु पंजीयन नियम 2001'' के अन्तर्गत किया जाता है।

राज्य में समस्त ग्रामीण निकाय, समस्त नगरीय निकाय तथा समस्त शासकीय अस्पताल, केन्द्र तथा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पताल अपने अधिकारिता क्षेत्र में जन्म–मृत्यु पंजीयन का कार्य करते है। राज्य के 33 जिलों में समस्त रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) पंजीयन करने के पश्चात, सभी वैधानिक भाग को अपने पास सुरक्षित रखते हैं।

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली के वेबपोर्टल पर राज्य के समस्त पंजीयन इकाईयों द्वारा ऑनलाईन जन्म–मृत्यु पंजीयन किया जाता है। संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष अधिनियम के कार्यकरण पर राज्य की रिपोर्ट तैयार कर राज्य शासन एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय को प्रेषित की जाती है।

सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के अंतर्गत मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण पत्र योजना को अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत लागू किया गया है।

अधिनियम में मृत्यु के कारण को ऐसे चिकित्सक, जिसने मृतक को अंतिम बीमारी के समय उसकी जांच की हो, के द्वारा प्रमाणित करने का प्रावधान है (फॉर्म 4)। यदि संस्था के अंदर इलाज किया है तो फॉर्म 4 और संस्था के बाहर फॉर्म 4 ''क'' भरा जाएगा । मृत्यु के कारण को फॉर्म 4 या 4 ''क '' में भरने के बाद इसको मृत्यु रिपोर्ट के साथ संबंधित रजिस्ट्रार को भेजना होता है {धारा 10(2) और 10(3)}

मृत्यु संबंधी कारणों की सूचना की तालिका, बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आई.सी.डी.–10) पर आधारित बीमारियों के वर्गीकरण के राष्ट्रीय सूची के आधार पर बनाई जाती है ।

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतिम औद्योगिक श्रमिको के परिवारिक आय–व्ययों का पायलेट सर्वेक्षण भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो–शिमला के द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है। वर्ष 2014–15 से छत्तीसगढ राज्य के तीन जिलों का चयन कर लिया गया है। चयनित जिलों के अंतिम बाजार निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	जिला	बाजार
1	रायपुर	I- गोल बाजार
		II- बीरगांव
2	कोरबा	I- निहारिका
		II- कोसाबाड़ी
		III- ट्रांसपोर्ट नगर
3	दुर्ग (भिलाई)	I- आकाशगंगा
		II- केम्प–2

वार्षिक कार्यकलाप

(क) प्रकाशन – आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार हैः–

1. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024–25

विभागीय जानकारी के आधार पर ''छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25'' तैयार किया जा रहा हैं, जो कि विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जावेगा। इस प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबंद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2023–24(अ)

इस प्रकाशन में राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान–सकल/निवल (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) संचालनालय द्वारा तैयार कर प्रकाशित किये गये, जिसमें प्रति व्यक्ति आय (सकल/निवल–प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है।

3. छत्तीसगढ़ राज्य के बजट का आर्थिक एवं उददेश्यवार वर्गीकरण वर्ष 2022–23(लेखा)

वर्ष 2023–24 (पुनरीक्षित) एवं वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान)

इस प्रकाशन में उद्देश्य के अनुसार वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष परिव्यय का उल्लेख किया जाता है।

4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2023–24.

इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के संकेतांक संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ो को राज्य स्तर पर जिलेवार तालिकाओं में प्रकाशित किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि मे वर्ष 2024

इस प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि ग्रामीण एवं विकास, जल, परिवहन एवं सामाजिक विषयों से संबंधित प्रमुख संकेतांको के आधार पर आकड़े प्रस्तुत किये गये है, जिसमें राज्य के विकास की अवधारणा का प्रबोधन किया गया है।

6. अधिनियम के कार्यकरण पर वार्षिक रिपोर्ट– 2023

राज्य से संबंधित वर्ष में जन्म–मृत्यु पंजीयन की प्रगति के लिये किये गए प्रयास एवं उसके आधार पर प्रगति का विश्लेषण किया जाता है।

7. **राज्य में होने वाले प्रत्येक जन्म–मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन का वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी प्रतिवेदन– 2023.**

जन्म एवं मृत्यु से सम्बंधित आकड़ो का राज्य के समस्त पंजीयन इकाइयों से संकलन एवं विश्लेषणात्मक सारणी तैयार कर राज्य शासन एवं भारत के महारजिस्टार को प्रेषित की जाती है।

8. राज्य में होने वाले संस्थागत एवं गैर–संस्थागत मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय

प्रमाणीकरण (Medical Certification of Cause of Death - MCCD) की वार्षिक रिपोर्ट–2023.

MCCD फॉर्म (मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र) में, ICD–10 कोड का उपयोग चिकित्सा निदान को सटीक रूप से पहचानने और वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, जिसे मृत्यु का प्राथमिक कारण माना जाता है, जिससे आबादी में मृत्यु दर और बीमारी के पैटर्न से संबंधित सटीक डेटा संग्रह और विश्लेषण की जानकारी मिलती है ।

ICD–10 चिकित्सा निदान को कोड करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली है, जो विभिन्न क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में मृत्यु प्रमाण पत्र रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करती है ।

1. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77 वे दौर का रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024–25 में तैयार किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 80 वां दौर में निम्नानुसार तीन सर्वे किए जायेंगे –

- घरेलू सामाजिक उपभोग पर सर्वेक्षण : घरेलू पर्यटन (Survey on Household Social Consumption : domestic Tourism)
- घरेलू सामाजिक उपभोग पर सर्वेक्षण : घरेलू यात्रा (Survey on Household Social Consumption : domestic travel)
- घरेलू सामाजिक उपभोग पर सर्वेक्षण : स्वास्थ्य (Survey on Household Social Consumption : Health)

(ग) भारत सरकार द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत राज्य को 17वीं लोकसभा हेतु 30 नवंबर 2024 की स्थिति में कुल प्राप्ति राशि 19006.26 लाख रूपये जारी किया गया है, जिसमें से राशि रू. 18842.77 लाख की लागत से 4308 कार्य स्वीकृत किय गये है, उसमें से 3386 कार्य पूर्ण हो चुके है। इसी तरह राज्यसभा सदस्यों हेतु 30 नवंबर 2024 की स्थिति में कुल प्राप्त राशि रू. 3373.80 लाख रूपये, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी किया गया है, जिसमें से राशि रू. 2490.75 लाख की लागत से 302 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 218 कार्य पूर्ण हो चुके है।

वर्तमान में 18 वीं लोकसभा प्रारंभ (मई 2024) से लगभग 06 माह हुए है। इस अल्प अवधि में 18 वीं लोकसभा 30 नवंबर 2024 की स्थिति में कुल प्राप्त राशि 982.12 लाख रूपये जारी किया गया है, जिसमें से राशि रूपये 356.29 लाख की लागत से 71 कार्य स्वीकृत किये गये है, जिसमें से 03 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(घ) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मान से रूपये 400.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से प्रत्येक माननीय विधायक अपने विधानसभा

क्षेत्रं के विकास हेतु राशि रूपये 296.00 लाख एवं माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा राशि रूपये 100.00 लाख के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु अनुशंसा कर सकते है। शेष 1% की राशि रू. 4.00 लाख आकस्मिक निधि के रूप में मार्गदर्शिका के दिशा–निर्देश के अनुसार व्यय करने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु 31 दिसम्बर 2024 तक कुल राशि 25698.80 लाख के विरूद्ध कुल 5323 कार्य स्वीकृत किये गये है, जिसमें से 1067 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(ड.) राज्योत्सव– 2024

राज्योत्सव– 2024 का आयोजन दिनांक 04 से 06 नवम्बर 2024 को राज्योत्सव स्थल, नवा रायपुर में किया गया, जिसमें विभाग को स्थल आबंटित हुआ था। विभाग द्वारा प्रथम बार राज्योत्सव स्थल में विभाग की योजनाओं एवं विभागीय गतिविधियों के प्रचार प्रसार हेतु स्टॉल का निर्माण किया गया था जिसमें जन्म मृत्यु पंजीयन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, विधायक निधि, राज्यीय आय व विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं को विडियो, कटपुतली नाट्य एवं बेनर–पोस्टर के माध्यम से लोगों को अवगत कराया गया सांथ ही विभागीय प्रकाशन जैसे आर्थिक सर्वेक्षण व अन्य प्रकाशनों का निःशुल्क वितरण भी किया गया।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

भाग-दो

बजट विहंगावलोकन :–

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2024–25 में सांख्यिकी गतिविधियों के संचालन हेतु योजनांतर्गत निम्नानुसार आबंटन प्राप्त हुआ है।

(राशि रू. हजार में)

क्र.	मांग संख्या	योजनाशीर्ष	वित्तीय वर्ष 2024–25 का वास्तविक व्यय (31 अक्टूबर की स्थिति में)	पुनरीक्षित प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2024–25
1.	31	1430– जन्म मृत्यु संबंधी आकड़ों का संकलन	15379.26	51280
2.		0512– नमूना सर्वेक्षण	9144.11	28190
3.		7604– भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	0	7
4.		8048– आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	196327.72	423335
कुल योग–			**220851.09**	**503462**

भाग-तीन

केन्द्र सरकार से RTGS के माध्यम से सीधे संचालनालय के बैंक खाता में प्राप्त राशि में से व्यय राशि का विवरण –

(राशि रू. हजार में)

योजना शीर्ष	वर्ष 2024–25 वास्तविक व्यय (दिसम्बर 2024)	वर्ष 2024–25 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
राज्य – आयोजना		
7413 – सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता योजना	2130.416	0
7604 – भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	1951.638	4100.00
योग	**4082.054**	**4100.00**

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

निरंक

भाग-पांच

अभिनव योजनाएँ

निरंक

भाग-छः

प्रकाशन संभाग

(क) वर्ष 2024–2025 में प्रस्तावित प्रकाशन

1. छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2022–2023 (संवाद को प्रेषित)
2. छत्तीसगढ एक दृष्टि में 2023 (संवाद को प्रेषित)
3. छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024–25 (फरवरी 2025 प्रस्तावित)
4. विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024–25 (फरवरी 2025 प्रस्तावित) छत्तीसगढ़ सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2023–24(अ) (संवाद को प्रेषित)
5. Economic-Cum-Purpose Classification of C.G. Budget year 2022-23 and 2023-24 (संवाद को प्रेषित)

(ख) वर्ष 2023–24 में प्रकाशित प्रकाशन

1. छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2021–2022
2. छत्तीसगढ एक दृष्टि में 2022
3. छत्तीसगढ का राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2022–23(अ)

5\. Economic-Cum-Purpose Classification of C.G. Budget year 2021- 22

5\. छ.ग. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023–24

6\. विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023–24

7\. कृषि संगणना वर्ष 2015–16

भाग-सात

सारांश

राज्य में सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सांख्यिकीय डेटा के व्यवस्थित संग्रह, वैज्ञानिक विश्लेषण करना है ताकि विकासशील अर्थव्यवस्था की एक व्यापक, समन्वित तस्वीर तैयार की जा सके। राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय कर और सरकार की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय डेटा प्रदान करना भी निदेशालय – संचालनालय की एक प्रमुख जिम्मेदारी है।

परिशिष्ट—एक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी (31.12.2024 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद		
		मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग	मुख्यालय	जिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ.	**प्रथम श्रेणी**									
1	संचालक	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	अपर संचालक	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	संयुक्त संचालक	3	0	3	3	0	3	0	0	0
4	उप संचालक	3	28	31	4	15	19	-1	13	12
	योग (अ)	**8**	**28**	**36**	**9**	**15**	**24**	**-1**	**13**	**12**
ब.	**द्वितीय श्रेणी**									
1	सहायक संचालक योजना/सांख्यिकी	13	60	73	7	39	46	6	21	27
2	सहायक संचालक (वित्त)	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	योग (ब)	**14**	**60**	**74**	**8**	**39**	**47**	**6**	**21**	**27**
स.	**तृतीय श्रेणी**									
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	36	128	164	27	81	108	9	47	56
2	सहायक प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	1	0	1
3	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	179	5	29	34	9	136	145
4	संगणक(डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	6	60	66	6	30	36	0	30	30
5	अधीक्षक	1	0	1	0	1	1	1	-1	0
6	कनिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	1	0	0	0	1	0	1
7	निज सहायक	1	0	1	1	0	1	0	0	0
8	सहायक ग्रेड–1	4	7	11	2	6	8	2	1	3
9	शीघ्रलेखक	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10	सहायक ग्रेड–2	5	33	38	3	14	17	2	19	21
11	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	1	0	1	0	0	0	1	0	1
12	स्टेनोटायपिस्ट	4	18	22	0	0	0	4	18	22
13	सहायक ग्रेड–3	20	67	87	1	15	16	19	52	71
14	वाहन चालक(नियमित/ सीधी भर्ती से स्वीकृत पदों की पूर्ति कलेक्टर दर से)	5	7	12	5	2	7	0	5	5
	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि अंतर्गत कले.दर पर भर्ती)	3	21	24	3	12	15	0	9	9
	योग (स)	**103**	**506**	**609**	**53**	**190**	**243**	**50**	**316**	**366**
द.	**चतुर्थ श्रेणी**									
1	जमादार	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	भृत्य(नियमित/नियमित पद के विरूद्ध कलेक्टर दर के माध्यम से भरे पद)	15	66	81	12	19	31	3	47	50
	भृत्य(आकस्मिकता निधि)	0	1	1	0	0	0	0	1	1
3	चौकीदार	2	0	2	2	0	2	0	0	0
4	स्वीपर/फर्राश/वाटरमैन(कलेक्टर दर)	5	42	47	5	32	37	0	10	10
	योग (द)	**23**	**109**	**132**	**20**	**51**	**71**	**3**	**58**	**61**
	कुल योग (अ+ब+स+द)	**148**	**703**	**851**	**90**	**295**	**385**	**58**	**408**	**466**

परिशिष्ट–दो

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण

1	**I. जिला सांख्यिकी तंत्र**	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों की समीक्षा एवं दिशा–निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा
	II. सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण
2	**I. सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण**	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप
	II. प्रकाशन/ पुस्तकालय	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन 2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, एवं विभागीय प्रकाशनों का वितरण एवं संधारण
3	**I. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण**	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन
	II. अन्य सर्वेक्षण एवं गणनाएं	1. आर्थिक गणना
4	**I. राज्यीय आय**	1. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान
	II. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. राज्य एवं स्थानीय निकायों के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण करना 2. राज्य शासन की वार्षिक बजट के आधार पर छत्तीसगढ़ आय–व्ययक संक्षेप में तैयार करना
	III. बाजार समाचार	1. थोक/फूटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा
	IV. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय कोलकाता द्वारा आबंटित औद्योगिक इकाईयों का वार्षिक सर्वेक्षण करना
	V. औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा आबंटित औद्योगिक इकाईयों से मासिक उत्पादन की जानकारी प्राप्त कर सूचकांक तैयार करना

5	I. औद्योगिक, खनिज एवं विद्युत उत्पादन के सूचकांक सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज, एवं विद्युत सांख्यिकी
	II. भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी	1 गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी 2. इमारती सामान के थोक भावों की जानकारी 3 आपदा प्रबंधन सांख्यिकी संकलन
6	I. जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण निरीक्षण एवं समीक्षा 2. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 3. जन्म– मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन 4. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा आधार पर वर्गीकरण एवं प्रतिवेदन
7	I. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा 2. बैठक आयोजित करना,निर्देश प्रसारित करना ,अंकेक्षण एवं निरीक्षण करना
	II. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा करना 2. जिला स्तर पर आ रही कठिनाइयों का निराकरण कर दिशानिर्देश /मार्गदर्शन देना 3. योजनांतर्गत अंकेक्षण, मॉनिटरिंग करना
8	I. प्रशासन	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण तथा बजट प्रस्ताव तैयार करना ।
	II. सूचना का अधिकार	1. प्रभावी अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निराकरण एवं प्रतिवेदन ।

राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ

भाग-एक

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति (National Institute for Transforming India-NITI) आयोग की स्थापना हो जाने से राज्यों के योजना आयोग/मण्डलों की भूमिका में भी परिवर्तन आया है। हमारे राज्य में भी राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ राज्य शासन के लिये 'थिंक टैंक' (Think Tank) के रूप कार्य कर रहा है।

आयोग का गठन, नाम परिवर्तन एवं पुर्नगठन

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश दिनांक 10 जनवरी, 2001 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था। योजना मंडल में राज्य शासन के विभिन्न विभागों यथाः वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, जनजाति विकास, जल संसाधन विभागों के सचिवों को सदस्य बनाया गया था। राज्य योजना आयोग को योजना की प्राथमिकता निश्चित करना, जिलों के उन क्षेत्रों में जिनमें विकास योजनाएं तैयार करना राज्य की योजना के ढांचे के अंदर उपयोगी माना जाए, ऐसी योजनाएं बनाने में जिला अधिकारियों की सहायता करना, उन कारणों का पता लगाना जिनमें राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में रूकावटें आती हों और राज्य में, व्याप्त क्षेत्र में, असंतुलन को दूर करने के उपाय सुझाना तथा योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुनर्विलोकन करना तथा नीतियों और उपायों में ऐसे समायोजनों की सिफारिश करना जो जरुरी हो, दायित्व सौंपा गया था। 12 अगस्त, 2010 को राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तन कर राज्य योजना आयोग किया गया।

पुनः 07 जनवरी, 2020 को 'राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़' का पुर्नगठन करते हुए राज्य शासन द्वारा आयोग की संरचना में आंशिक परिवर्तन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को आयोग के अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष, माननीय योजना मंत्री जी पदेन सदस्य के साथ राज्य मंत्रीपरिषद से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3 पदेन सदस्य मनोनीत किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1 पूर्णकालीन सदस्य, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र से अधिकतम 3 लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति को अशासकीय सदस्य तथा अधिकतम 2 अंशकालीन सदस्य, राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से एक वर्ष के चक्रीय आधार पर पदेन सदस्य के रूप में राज्य शासन द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, भारसाधक सचिव, वित्त/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/नगरीय प्रशासन एवं विकास/कृषि विज्ञान एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को स्थाई आमंत्रित के रूप में रखे जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा सचिव स्तरीय अधिकारी को पूर्णकालिक सदस्य सचिव पदस्थ करने का भी प्रावधान किया गया है। मार्च 2024 में राज्य योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर 'राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़' किया गया है।

आयोग के दायित्व

राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ के वर्तमान दायित्व निम्नानुसार हैंः—

- राज्य के आर्थिक एवं मानव संसाधनों का मूल्यांकन कर उनके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग एवं राज्य के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास के उपाय सुझाना।
- सतत् संपोषणीय विकास (SDG) **तथा** "जन घोषणा पत्र" के उद्देश्यों एवं "इंटर—जनरेशन इक्विटी" के सिद्धांत को केन्द्र में रखकर योजना निर्माण के संदर्भ में विभागों को सुझाव देना।

- विकेन्द्रीकृत योजना (Decentralized Planning) निर्माण, समीक्षा एवं इन योजनाओं के आधार पर संसाधन वितरण की प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए राज्य शासन को समय–समय पर सुझाव देना।

- शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की आवश्यकतानुसार समीक्षा एवं मूल्यांकन (Evaluation) करना तथा उनमें सुधार के संबंध में शासन को सुझाव देना।

- विभिन्न सेक्टर्स में राज्य के विकास के लिए उपयोगी निदानात्मक/विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रायोजित करना एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल पाई गई नीतियों व Best Practices का अध्ययन कर राज्य में लागू किये जाने के संदर्भ में राय देना।

- नवाचारों का अध्ययन कर प्रोत्साहित करने हेतु शासन को सुझाव देना।

- शासन एवं शासनेत्तर विषयों पर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनायी जा रही नीतियों का अध्ययन करना व राज्य के लिए नीति नेतृत्व (Policy Lead) प्रदान करते हुए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना।

- समय–समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष, राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों को संपादित करना।

आयोग की कार्यप्रणाली

राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा समकालीन अनुसंधानों, नवप्रवर्तनों, सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों **(Best Practieas)** की जानकारी प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय परिदृष्य एवं प्रदेश के संदर्भ में उनकी उपयोगिता की संभावना पर विचार करने के लिये विभिन्न प्रासंगिक विषयों

पर बैठकों का आयोजन, गोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं कॉनक्लेव आदि का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ–साथ केन्द्र सरकार, स्थानीय शासकीय अधिकारियों एवं अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता भी रहती है। कॉनक्लेव इत्यादि में विचार–विमर्श उपरांत सहमत बिन्दुओं पर अनुशंसाएँ राज्य शासन को प्रेषित की जाती हैं।

आयोग द्वारा संपादित गतिविधियां –

सामाजिक, आर्थिक विकास एवं राज्य के नीति निर्धारण से संबंधित विषयों पर, राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा विगत वर्ष में की गई गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

छत्तीसगढ़ अंजोर'' – विजन डाक्यूमेंट@2047 – विकसित छत्तीसगढ़ के लिए रोडमैप

राज्य नीति आयोग द्वारा विजन डाक्यूमेंट– ''छत्तीसगढ़ अंजोर'' विजन डाक्यूमेंट@2047 तैयार किया गया है। यह विजन में वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने हेतु आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कुल 13 थीम्स का निर्धारण विजन डाक्यूमेंट में किया गया है।

यह 13 थीम्स मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, अधोसंरचना, लॉजिस्टिक्स, कृषि वनोपज, निवेश, कौशल विकास, आईटी व एआई, पर्यटन, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से संबंधित है। इन थीम्स के प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु रणनीति, इण्डिकेटर्स तथा कुल 200 से अधिक नीतिगत, संस्थागत व अधोसंरचना संबंधी पहलें भी शामिल की गई हैं। विजन डॉक्यूमेंट – ''छत्तीसगढ़ अंजोर–विजन @ 2047'' को शीघ्र ही जारी किया जाना लक्षित है।

राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति हेतु 'स्टेट तथा डिस्ट्रिक्ट इण्डिकेटर फ्रेमवर्क', 'प्रगति प्रतिवेदन' व 'एसडीजी डैशबोर्ड'

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में ''अन्त्योदय'' के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुये अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का निर्धारण किया गया था। इन एस.डी.जी. लक्ष्यो को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने हेतु देश व प्रदेश प्रतिबद्ध है। सतत् विकास लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण से संबंधित विकास को सुनिश्चित करते है। एसडीजी वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर हासिल करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ राज्य भी एसडीजी की समयबद्ध प्राप्ति के लिए दृढता से प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी का गढ़बो नवा छत्तीसगढ और जन घोषणा पत्र का आह्वान सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सार को दर्शाता है।

एसडीजी लक्ष्य की प्राप्ति एक दृढ मैराथन है जहां सफलता केवल साक्ष्य–आधारित योजना, कार्यान्वयन, निगरानी, निरंतर सुधार और कमियों की पहचान करने वाले संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।

सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये फ्रेमवर्क निर्धारण का कार्य राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। राज्य स्तर पर एसडीजी पर हुई प्रगति की निगरानी के लिए राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा कई पहल की गई हैं। इस प्रयास में, राज्य स्तर पर एसडीजी प्रगति को मापने के लिए राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ ने मजबूत निगरानी ढांचा 'एसडीजी संकेतक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसमें राज्य संकेतक (सीजी–एसआईएफ) व जिला संकेतक फ्रेमवर्क (सीजी–डीआईएफ) तथा उस पर आधारित 'प्रोग्रेस रिपोर्ट' तैयार किया है।

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी एसडीजी वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24 में छत्तीसगढ़ का समग्र सूचकांक 67 है और प्रतिवेदन में राज्य को 'परफार्मर' श्रेणी में रखा गया है।

राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2024 को ''एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022'' तथा दिनांक 19 जून 2024 को ''एस.डी.जी. राज्य व डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2023'' जारी किया गया। प्रतिवेदन में सामाजिक, आर्थिक,

पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबधी कुल 275 राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय 82 इंडिकेटर में प्राप्त प्रगति संबंधित डाटा संकलन व प्रकाशन का कार्य करते हुए उनके आधार पर जिलों को 'स्कोर' व 'रैंकिंग' प्रदाय की गई है। 'एसडीजी डैशबोर्ड'' के माध्यम से विभाग व जिला स्तरीय अनुश्रवण किया जा रहा है। 2023 के एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट में समग्र सूचकांक में राज्य में धमतरी शीर्ष स्थान पर है।

सतत् विकास लक्ष्य की प्रगति के राज्य एवं जिला स्तर पर समीक्षा हेतु ढॉचागत व्यवस्था –

सतत् विकास लक्ष्य अंतर्गत प्रगति के अनुश्रवण व अनुशीलन हेतु ढॉचागत राज्य में एस.डी.जी. प्रगति की नियमित समीक्षा व्यवस्था की सुनिश्चितता हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नानुसार तीन समितियों के गठन संबंधी आदेश दिनांक 23 जनवरी 2021 को जारी किये गये हैं–

(1) राज्य स्तरीय एसडीजी संचालन समिति (State Level Steering Committee on SDG) - माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में

(2) राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति (State Level Implementation & Monitoring Committee on SDG's) - मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में

(3) जिला स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति (District Level Implementation & Monitoring Committee on SDG's) - जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में

जिला योजना का सुदृढ़ीकरण –

भारतीय संविधान की धारा 243ZD में स्थानीय शासन की ईकाईयों (ग्रामीण एवं नगरीय) द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन किये जाने के प्रावधान उल्लेखित किये गये हैं। राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा राज्य के सभी जिलों में 'जिला योजना' तैयार करने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है। सभी जिलों द्वारा जिले के स्थिति

विश्लेषण के साथ, सात क्षेत्रकों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, अधोसंरचना, ऊर्जा प्रबंधन, नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण के बिन्दुओं पर जिला योजना तैयार की जाती है। सतत् विकास लक्ष्य आधारित विकेन्द्रीकृत जिला योजना मार्गदर्शिका तैयार किया गया है, जिसके अनुरूप जिलों की जिला योजना का प्रारूप तैयार कराया जा रहा है।

विकासात्मक शोध एवं अध्ययन–

राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य हेतु प्रासंगिक एवं विकासोनमुखी विषयों पर शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकगण, छात्रगण / अनुसंधानकर्ताओं एवं शासकीय/निजी संस्थाओं के विकासात्मक शोध एवं अध्ययन प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। प्राप्त शोध अध्ययन प्रस्तावों को परीक्षण उपरांत स्वीकृति देने के लिए शोध एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभिन्न विषयों से संबंधित 07 शोध/अध्ययन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। चालू वर्ष 2024–25 में अभी तक 31 प्रस्ताव विभिन्न शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं से प्राप्त किये गये है।

'नवोन्मेष पोटर्ल' (बेस्ट प्रेक्टिस संकलन)–

'नवोन्मेष पोर्टल' राज्य नीति आयोग द्वारा सृजित 'बेस्ट प्रेक्टिसेज' का डिजिटल पोर्टल है। राज्य के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रगति के दृष्टिकोण से अनुकरणीय एवं राज्य हित में उपयोगी एवं क्रियान्वयन योग्य पाए गये परीक्षित सफल कार्य है। जिनके अध्ययन के उपरान्त अन्य जिलों में भी अनुशीलन एवं कुशलतापूर्वक संपादन किया जा सकता है। 'बेस्ट प्रेक्टिसेज' सर्वोत्तम पहल को इंगित करते है, जिससे राज्य के सर्वांगीण विकास को गति मिलेगी।

इस पोर्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों/शासकीय विभाग उनके द्वारा क्रियान्वित 'बेस्ट प्रेक्टिसेज' को प्रेषित कर सकते है, जिससे अन्य जिले यथा आवश्यकतानुसार अनुकरण करते हुए अपने क्षेत्र में भी त्वरित प्रगति सुनिश्चित कर सकते है। नवोन्मेष पोर्टल पर 31 जनवरी, 2024 तक राज्य शासन के विभिन्न 49 विभागों द्वारा 67 नवाचार गतिविधियाँ प्राप्त हुई है।

भाग-दो

राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ का बजटीय प्रस्ताव 2025–26

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.	योजना शीर्ष एवं क्रमांक	स्वीकृत बजट वर्ष 2024–25	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2024–25	वर्ष 2024–25 का माह दिसम्बर 2024 तक वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2025–26	वित्त विभाग द्वारा पारित वर्ष 2025–26
1	2	3	4	5	6	7
मांग संख्या–31, मुख्य लेखा शीर्ष –3451						
	3686– राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ (आयोजनेत्तर)	797.62 0.20	797.62 0.20	331.12 -	760.70 0.20	760.70 0.20
	योग	**797.62**	**797.62**	**331.12**	**760.70**	**760.70**
	7639– राज्य योजना का सुदृढ़ीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान	386.00	386.00	59.29	41.02	41.02
	योग	**386.00**	**386.00**	**59.29**	41.02	41.02
	6474 –नवाचारों का बौद्विक संपदा अधिकार	50.00	50.00	0.00	0.10	0.10
	योग	**50.00**	**50.00**	**0.00**	**0.10**	**0.10**
	7153– राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद्	25.00	25.00	0.00	25.00	50.00
		25.00	**25.00**	**0.00**	**25.00**	**50.00**
	7107– विकसित छत्तीसगढ़ 2047 रोडमैप	200.00	992.04	992.04	2000.00	2500.00
	योग	**200.00**	**992.04**	**992.04**	**2000.00**	**2500.00**
मांग संख्या–60 मुख्य लेखा शीर्ष – 3451						
	7282– जिला योजना का सुदृढ़ीकरण (आयोजना)	53.00	53.00	4.87	53.00	53.00
	योग	**53.00**	**53.00**	**4.87**	**53.00**	**53.00**

भाग-तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना – निरंक

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय – निरंक

भाग-पांच

निरंक

भाग-छः

प्रकाशन

एस.डी.जी. राज्य व डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023

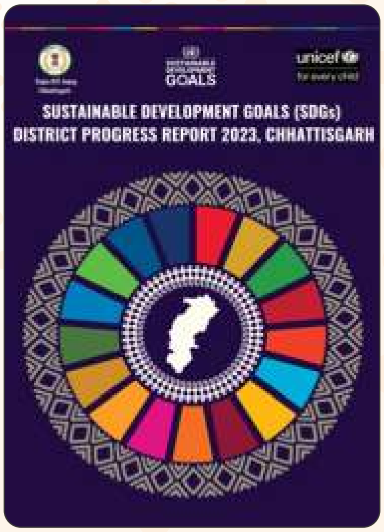

एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022

भाग-सात

सारांश

विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ाते हुए राज्य शासन के समस्त विभागों के समन्वय से विजन डाक्यूमेंट 'छत्तीसगढ़ अंजोरः विजन@2047' तैयार कर लिया गया है। इस विजन में राज्य के समग्र विकास के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धरित किए गए हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों और उनके समय समय पर आंकलन के लिए इंडिकेटर्स भी निर्धारित किए हैं। डाक्यूमेंट में राज्य को समृद्ध बनाने के लिए हरेक उपायों और देश दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेज पर विस्तृत विचार किया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों के राज्य एवं जिला स्तर पर प्रगति के मूल्यांकन में सहायता हेतु ''फ्रेमवर्क'' व ''डैशबोर्ड'' तैयार किया गया है, जिसके आधार पर जिलों व राज्य में प्रगति का अनुश्रवण व मूल्यांकन किया जा रहा है। साथ ही राज्य के प्रासंगिक विषयों पर अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा डाटा व साक्ष्य आधारित निर्णय लिए जाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण है।

परिशिष्ट—एक

राज्य नीति आयोग में स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

(31 दिसम्बर, 2024 की स्थिति में)

क्र.	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	वेतन लेवल	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सदस्य	प्रथम	राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान		1	1	0	—
2	सदस्य सचिव	प्रथम	141800—214700	17	1	1	0	—
3	सलाहकार	प्रथम	118500—214100	15	4	2	2	—
4	उप सचिव	प्रथम	79900—211700	14	1	0	1	—
5	संयुक्त संचालक	प्रथम	79900—211700	14	2	2	0	—
6	संयुक्त संचालक (वित्त)	प्रथम	79900—211700	14	1	1	0	—
7	अवर सचिव	प्रथम	67300—213100	13	1	0	1	—
8	शोध अधिकारी	प्रथम	67300—213100	13	3	2	1	—
9	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय	56100—177500	12	4	0	4	—
10	सहायक संचालक	द्वितीय	56100—177500	12	2	1	1	—
11	प्रशासकीय अधिकारी	द्वितीय	56100—177500	12	1	0	1	—
12	शीघ्रलेखक ग्रेड—1	द्वितीय	43200—136500	10	1	1	0	—
13	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय	38100—120400	9	4	2	2	—
14	कनिष्ठ ग्रंथपाल	तृतीय	38100—120400	9	1	0	1	—
15	शीघ्रलेखक ग्रेड—2	तृतीय	38100—120400	9	2	2	0	—
16	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	35400—112400	8	1	1	0	—
17	शीघ्रलेखक ग्रेड—3	तृतीय	28700—91300	7	2	0	2	—
18	सहायक ग्रेड—1	तृतीय	28700—91300	7	1	1	0	—
19	अन्वेषक	तृतीय	28700—91300	7	4	1	3	—
20	वरिष्ठ लेखापाल	तृतीय	28700—91300	7	1	1	0	—
21	कनिष्ठ लेखापाल	तृतीय	25300—80500	6	1	0	1	—
22	सहायक ग्रेड—2	तृतीय	25300—80500	6	2	0	2	—
23	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय	25300—80500	6	6	3	3	—
24	सहायक ग्रेड—3	तृतीय	19500—62000	4	4	1	3	—
25	वाहन चालक	तृतीय	19500—62000	5	5	5	0	—
26	दफ्तरी	चतुर्थ	16100—50900	2	1	0	1	—
27	भृत्य	चतुर्थ	15600—49400	1	11	9	2	—
28	चौकीदार	चतुर्थ	कलेक्टर दर		2	0	2	—
29	वाटरमेन	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	—
30	फर्राश	चतुर्थ	कलेक्टर दर		1	0	1	—
				योग	72	37	35	

छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2024-25

छत्तीसगढ़ शासन

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

विभागीय संरचना

छत्तीसगढ़ शासन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

विभाग का नाम	:	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
प्रभारी मंत्री का नाम	:	**श्री श्याम बिहारी जायसवाल**

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग मंत्रालय में पदस्थ अधिकारी		
सचिव	:	श्री अंकित आनन्द (भा.प्र.से.)
अवर सचिव	:	श्री कीर्तिवर्धन उपाध्याय

विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारी		
संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	:	श्रीमती रोक्तिमा यादव (भा.प्र.से.)

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में पदस्थ अध्यक्ष / उपाध्यक्ष		
राज्य स्तरीय समीक्षा	:	अध्यक्ष -
समिति	:	उपाध्यक्ष -

विषय सूची

क्र	विभाग	संचालनालय/आयोग	पृष्ठ संख्या
2.	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	01—08

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2024-25
20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग-एक

सामान्य जानकारी

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें 1982 और 1986 में कुछ संशोधन हुये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियॉ एवं अनुभवों के साथ अनेक प्रकार की नई नीतियॉ और कार्यक्रम शुरू करने के कारण आर्थिक सुधारों की अनवरत प्रक्रिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुये बीस सूत्रीय कार्यक्रम को पुनः संरचित करते हुये बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 लागू किया गया है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 में ग्रामीण और शहरी जनता के हित के सूत्र हैं। इसके अंतर्गत देश में गरीबी हटाने और गरीब तथा शोषित जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्ग का संरक्षण तथा सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई–शासन आदि जैसे विभिन्न सामाजार्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में निहित प्राथमिकताओं को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अन्तर्गत गरीबी हटाने, उत्पादकता बढ़ाने, आय संबंधी असमानताओं को कम करने तथा सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये राष्ट्र की प्रतिबद्धता को प्रतिपादित किया गया है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम–2006 यू0एन0 मिलेनियम डेवलेपमेंट्स गोल्स (एम0डी0जी0) और सार्क सोशल चार्टर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रबोधित करने एवं समीक्षा करने के अनुरूप बहुत सी मदें सम्मिलित की गई हैं ।

अधीनस्थ कार्यालय

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग के अधीनस्थ 16 जिलाध्यक्ष कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड–02 व सहायक ग्रेड–03 के 1–1 पद एवं विकासखण्ड कार्यालय हेतु सहायक ग्रेड–03 के 146 पद स्वीकृत हैं तथा राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय क्रियान्वयन समीक्षा समिति कार्यालय हेतु निज सहायक के 01 पद तथा भृत्य के 02 पद स्वीकृत हैं ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम – 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/ब्लाक स्तर पर समीक्षा समिति का गठन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया..

राज्य शासन द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम – 2006 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/ब्लाक स्तर पर समीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा राज्य स्तरीय समितियों की बैठक वर्ष में दो बार, जिला स्तरीय समिति की बैठक हर तिमाही में तथा ब्लाक स्तरीय समिति की बैठक हर माह आयोजित करने के प्रावधान किये गये हैं। इसी प्रकार राज्य स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करने हेतु उप समिति का गठन किया गया है। यह उप समिति कम से कम तीन माह में एक बार बैठक आयोजित करेगी। उप समिति अपनी अनुशंसा एवं कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
2. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय बीस सूत्रीय समितियों का गठन ।
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही ।
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही ।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के सापेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को संप्रेषित किया जाता है। कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश दिया जाता है।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं– (राज्य, जिला व जनपद पंचायतों) को प्रत्यायोजित किया गया है। कार्यक्रम की देख–रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौंपा गया है।

जानकारी संकलन हेतु नियत विभागः

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
3. आवास एवं पर्यावरण विभाग
4. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
5. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6. आदिम जाति कल्याण विभाग
7. महिला एवं बाल विकास विभाग
8. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
9. ऊर्जा विभाग
10. लोक निर्माण विभाग

<u>बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :–</u>

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित 17 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. रोजगार सृजन–महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार सृजन

(i) जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या।

(ii) सृजित रोजगार (संख्या मानव दिवसों में)।

(iii) दी गई मजदूरी (रूपयों में)।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

(i) वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़ावा दिये गये स्वयं सहायता समूहों की संख्या।

(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई।

(iii) वित्तीय वर्ष के दौरान उन स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई।

3. भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण।

(I) कुल वितरित भूमि (हेक्टेयर में)।

(ii) अनुसूचित जाति को वितरित भूमि (हेक्टेयर में)।

(iii) अनुसूचित जनजाति को वितरित भूमि (हेक्टेयर में)।

(iv) अन्य को वितरित भूमि (हेक्टेयर में)।

4. न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फॉर्म श्रमिक सहित)।

(क) कृषि एवं फॉर्म कामगार (की संख्या)।

(i) किए गए निरीक्षण।

(ii) पता लगाई गई अनियमितताएँ।

(iii) दूर की गई अनियमितताएं।

(iv) फाइल किए गए दावे।

(v) निपटाए गए दावे।

(vi) लंबित अभियोजन मामले।

(vii) फाइल किए गए अभियोजन मामले।

(viii) निर्णीत अभियोजन मामले।

5. खाद्य सुरक्षा

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एएवाई/एपीएल/बीपीएल) – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यानों का आबंटन (लाख टन)।

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) (साामान्य) – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यानों का आबंटन (लाख टन)।

(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए)(अतिरिक्त आबंटन) – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यानों का आबंटन (लाख टन)।

6. ग्रामीण आवास– प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – निर्मित आवासों की संख्या।

7. शहरी क्षेत्रों में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास – निर्मित आवासों की संख्या।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम – निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय की संख्या ।

9. **संस्थानिक प्रसव – संस्थानों में प्रसव की संख्या।**

10. **सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार।**

    (i) अ.जा. उपयोजना तथा राष्ट्रीय अ.जा. वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान किये गये अ.जा. परिवारों की संख्या।

    (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत सहायता प्रदान किये गये अ. जा. के छात्रों की संख्या।

11. **एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का सर्वव्यापीकरण – प्रचलन में आई.सी.डी.एस. ब्लाक की संख्या (संचयी)।**

12. **क्रियाशील ऑगनबाड़ियॉ – क्रियाशील ऑगनबाड़ियों की संख्या (संचयी)।**

13. **सात सूत्रों के चार्टर अर्थात्: भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर मकान, जल, साफ–सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या।**

14. **(i) वनरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)–रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (हेक्टेयर में)।**

    (ii) वनरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि) – रोपित पौधों की संख्या।

15. **ग्रामीण सड़कें – पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़क की लम्बाई (किमी.)।**

16. **पम्पसेटों को बिजली–बिजली प्रदाय किए गए पंप सेट की संख्या।**

17. **बिजली आपूर्ति – बिजली की मांग (मिलियन यूनिट)।**

भाग-दो

कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

(राशि रू. हजार में)

योजना शीर्ष	वर्ष 2024–25 का वास्तविक व्यय (31अक्टूबर की स्थिति में)	वर्ष 2024–25 पुनरीक्षित प्रस्ताव
1	2	3
2987 – बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	12509.14	44935
योगः–	**12509.14**	**44935**

भाग-तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना–निरंक

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय–निरंक

भाग-पाँच

अभिनव योजनाएँ–निरंक

भाग-छः

प्रकाशन—निरंक

भाग-सात

सारांश—

बीस सूत्रीय कार्यक्रम – 2006 में ग्रामीण और शहरी जनता के हित के सूत्र हैं। इसके अंतर्गत देश में गरीबी हटाने और गरीब तथा शोषित जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के कार्यक्रमों पर बल दिया गया है।

परिशिष्ट—दो

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण

क्र	विभाग	संचालनालय / आयोग	पृष्ठ संख्या
1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना	1. संबंधित विभागों से प्रगति का त्रैमासिक संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही	

Visit us - descg.gov.in